(85) 34

विधि कोषांग–विविध–04–01/2019 का0 3607/

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

122

प्रेषक,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी विभाग,
सभी प्रमण्डलीय अयुक्त/सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 13 मई, 2022

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु दिशा–निर्देश।

महाश्य,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि W.P(C) No.-3188/2019 कालेश्वर साव–बनाम्–झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा W.P(C) No.-6167/2016 मणिबाला सिन्हा–बनाम्–झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन के बिंदु पर दिनांक–05.04.2022 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरस्त यह निर्णय लिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ–पत्र दायर करने के संबंध में निम्न रूपेण कार्रवाई की जाय :–

(i) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष (जैसा मामला हो) से तथ्य विवरणी पर अनुमोदन प्राप्त कर अवर सचिव से अन्यून पद के पदाधिकारी (Officer not below the rank of under secretary) द्वारा प्रतिशपथ–पत्र दायर किया जाय।

(ii) विभागीय सचिव स्तर के ऊपर के पदाधिकारी का सामान्यतः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई Specific न्यायादेश हो तो उस परिस्थिति में न्यायादेश के अनुरूप अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(iii) ऐसे मामले जो नीति मूलक हो तथा पूर्व से निर्गत अधिसूचना/आदेश/ संकल्प से आच्छादित न हो, ऐसे मामलों में नीतिमूलक बिंदू पर विहित प्रक्रिया से तथ्यों को स्पष्ट कर सक्षम प्राधिकार से नीति निर्धारण करना आवश्यक होगा ताकि अनावश्यक litigation न बढे।

(iv) Payscale के मामलों में तथ्य विवरणी पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(v) जिला स्तरीय कार्यालय के मामलों में जिस पत्र/आदेश/अधिसूचना के विरूद्ध वाद दायर किया गया हो, उस पत्र/आदेश/अधिसूचना निर्गत करने वाले

पदाधिकारी से 02 (दो) स्तर उच्च पद के पदाधिकारी से तथ्य विवरणी पर अनुमोदन प्राप्त किया जाय। प्रतिशपथ–पत्र दायर करने हेतु अवर सचिव से अन्यून पद के पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाय। प्रतिशपथ–पत्र हेतु तथ्य विवरणी अनुमोदित करने वाला पदाधिकारी ही प्रतिशपथ–पत्र दायर करने वाले पदाधिकारी को नामित करेंगे।

(vi) विभिन्न विभाग अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए पदसोपान के अनुरूप शपथ–पत्र दायर करने के संबंध में अलग से आदेश निर्गत करेंगे। इस क्रम में कंडिका–(v) में अंकित सिद्धान्त को ध्यान में रखेंगे।

(vii) ऐसा भी देखा गया है कि समय–समय पर एक ही मामले तथा समतुल्य विषय के मामलों में विरोधाभाषी प्रतिशपथ–पत्र दायर हो जाते हैं। इसकी पुनरावृत्ति न हो। वाद–वार संचिका में दायर प्रतिशपथ–पत्र तथा न्यायादेश स्पष्ट रूप से संधारित हो। एकरूपता बरती जाय। गलती करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई की जाय।

अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

10.6.22

(वंदना दादेल)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापंक– विधि कोषांग–विविध–04–01/2019 का0 3607, राँची, दिनांक 13 जून, 2022

प्रतिलिपिः– महाधिवक्ता का कार्यालय, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.6.22

सरकार के प्रधान सचिव।